मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपालः 462004.

::आदेश::

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर, 2024

क्रमांक बी-1/13/0003/2022-जीएडी-2-01(जीएडी):: राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान से प्रवर श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति दिए जाने के संबध में दिनांक 21.02.2023 को आयोजित विभागीय चयन समिति की बैठक में सुश्री सुमनलता माहौर, (आर.आर.2012) (विचार क्षेत्र की सूची सरल क्रमांक 09) के नाम पर विचार किया गया। तत्समय समिति के समक्ष सुश्री माहौर के विरूद्ध निम्नांकित अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित होने की जानकारी रखी गई :-

''अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 34 मुंगावली जिला अशोकनगर के पद पर पदस्थी के दौरान मतदाता सूची तैयार करने में की गई लापरवाही के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम -14 के अंतर्गत दिनांक 11.06.2019 द्वारा आरोप पत्र जारी किये गये।''

2/ उक्त प्रकरण प्रचलित होने से चयन समिति द्वारा सुश्री माहौर के संबंध में सील बंद लिफाफे में अनुशंसा की गई ।

3/ सुश्री माहौर के विरूद्ध समिति के समक्ष रखा गया प्रकरण सामान्य प्रशासन विभाग ''कार्मिक'' के आदेश क्रमांक बी-3/20/2018/2/एक दिनांक 29 अगस्त, 2024 द्वारा सुश्री माहौर को भविष्य में अधिक सजगता से कार्य करने की समझाईश देते हुए इस प्रकम पर बिना दण्ड के समाप्त किया गया ।

4/ सुश्री माहौर, (आर.आर.2012)के विरूद्ध संस्थित प्रकरण बिना किसी दण्ड के समाप्त होने के फलस्वरूप वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान से प्रवर श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति हेतु दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में संपन्न विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 21.02.2023 में समिति की सील बंद अनुशंसा को खोला गया जिसमें सुश्री माहौर, (आर.आर.2012) (विचार क्षेत्र की सूची का सरल क्रमांक 09) को **प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु उपयुक्त पाया गया ।**

19/09/24

2......

5/ अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री सुमनलता माहौर, (आर.आर.2012) अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ''कार्मिक'' को उनसे कनिष्ठ श्रीमती अंजली शाह (आर.आर. 2012) को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान पी0बी0-3 रूपये, 15,600-39,100+6600 ग्रेड पे (मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 में विनिर्दिष्ट पे-मेट्रिक्स लेवल 13) से राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान पी0बी0-4 रूपये, 15,600-67000+7600 ग्रेड पे (मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 में विनिर्दिष्ट पे-मेट्रिक्स लेवल 14) में दी गई क्रमोन्नति के दिनांक 05.04.2023 से प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति (क्रमोन्नति) प्रदान करता है।

6/ सुश्री सुमनलता माहौर, (आर.आर.2012) को प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्त होने के दिनांक 05.04.2023 से प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक की अवधि का लाभ काल्पनिक रूप से देय होगा अर्थात ''**कार्य नहीं वेतन नहीं**'' के सिद्धांत के आधार पर उन्हें कोई वेतन, भत्ते एवं एरियर्स आदि की पात्रता नहीं होगी। सुश्री सुमनलता माहौर को प्रवर श्रेणी वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वास्तविक लाभ देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Jain 19/09/24

(शिराली जैन)
अवर सचिव 'कार्मिक'
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

3.......

पृ.क्र. बी-1/13/0003/2022-जीएडी-2-01 (जीएडी) **भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2024**

प्रतिलिपिः-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग ।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
4. अवर सचिव, म0प्र0 शासन, सा0प्र0वि0 ''कार्मिक'' कक्ष-5, कक्ष-6, कक्ष- 7-3।
5. अवर सचिव (स्थापना),म0प्र0शासन,सा0प्र0वि0 कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर डालने का कष्ट करें।
6. प्रभारी, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, भोपाल।
7. सुश्री सुमनलता माहौर, (आर.आर.2012)' अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ''कार्मिक'', प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति (क्रमोन्नति) आदेश प्राप्त होने के दिनांक से एक माह के अंदर वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 8/2009/नियम/चार, दिनांक 23.03.2009 के अनुसार विकल्प प्रस्तुत करना होगा।
8. आर्डर बुक/ स्थापना/ गोपनीय चरित्रावली/ विभागीय जांच/अंचल सम्पत्ति/ न्यायालयीन पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Jain 19/09/24

अवर सचिव 'कार्मिक
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग